

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) बागीदौरा जिला बॉसवाडा (राज.)

क्रमांक/राजस्व/2019/280

दिनांक 14/06/2019

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
बागीदौरा।

विषय :- भूमि आरक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंग :- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बॉसवाडा के पत्रांक एफ() राजस्व/2019/450 दिनांक 10.06.2019 एवं श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब बागीदौरा के पत्र क्रमांक राजस्व/19/287 दिनांक 12.06.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि, रिपोर्ट पटवारी हल्का पाटन एवं भू.अ.निरीक्षक वृत्त छींछ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वन भूमि आरक्षण हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

1. ग्राम पाटन की आराजी नम्बर 297, 298, 830, 832 व 832/3003 में क्रमशः रकबा (हैक्टर में) 1.99, 0.20, 3.97, 4.09 व 1.09 कुल 11.25 हैक्टर किस्म बंजड़ व बारानी 3 भूमि श्रीसरकार दर्ज रिकोर्ड है। इसमें से 4.99 है. भूमि उक्त प्रयोजनार्थ आरक्षित करना प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित भूमि मौके पर पड़त होकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
3. प्रस्तावित भूमि पूर्व में अन्य प्रयोजनार्थ आवंटन/आरक्षित नहीं हैं
4. प्रस्तावित भूमि आबादी से 0.5 किमी एवं मुख्य सड़क/ग्रामीण सड़क से 0.5 किमी की दूरी पर है।
5. प्रस्तावित भूमि को आरक्षित करने में ग्राम पंचायत को आपत्ति नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र सलंगन है।
6. प्रस्तावित भूमि नोन कमाण्ड के अन्तर्गत आती है।
7. नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस सलंगन है।

अतः ग्राम पाटन की आराजी नम्बर 297, 298, 830, 832 व 832/3003 में क्रमशः रकबा (हैक्टर में) 1.99, 0.20, 3.97, 4.09 व 1.09 कुल 11.25 हैक्टर किस्म बंजड़ व बारानी 3 में से सर्वे नम्बर 832 रकबा 4.09 हैक्टर तथा आराजी सर्वे नम्बर 832/3003 रकबा 1.09 हैक्टर में से 0.90 हैक्टर कुल 4.99 हैक्टर भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आरक्षित हेतु प्रस्ताव तैयार कर भूमि आरक्षित करने की अनुशंसा कर श्रीमान् को प्रस्तुत है।

तहसीलदार
बागीदौरा
जिला बॉसवाडा (राज.)